

## प्रपत्र-1

-: परियोजना का नाम :-

—: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगाँव में परिवहन विभाग हेतु :-  
1. अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर का निर्माण

## प्रतिवेदन

## 1. भूमिका:-

महोदय, वर्ष 1997 में बागेश्वर जनपद का सृजन के उपरान्त वाहनों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्तमान में प्रतिवर्ष 2000 वाहनों का पंजीकरण किया जाता है। तथापि तब से अभी तक बागेश्वर में परिवहन विभाग का अपना कार्यालय स्थापित नहीं हो पाया है। महोदय, जनपद मुख्यालय बागेश्वर से पिथौरागढ़ चम्पावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधमसिंह नगर चमोली, देहरादून, के अतिरिक्त राज्य से बाहर लखनऊ बरेली एवं दिल्ली के लिए सीधी बस सेवा के साथ-2 आन्तरिक मार्गों पर टैक्सी, जीप आदि से यातायात व्यवस्था संचालित होती है लेकिन परिवहन कार्यालय न होने से विभागीय कार्यों के सम्पादन में कठिनाई होती है।

महोदय उक्त के सन्दर्भ में जनपद में कार्यालय भवन परियोजना निर्माण के दृष्टिगत परिवहन कार्यालय द्वारा सम्पादित जनसेवाओं से सम्बन्धित रूपरेखा बिन्दुवार प्रस्तुत है।

- i. वाहन सेवाओं के अन्तर्गत वाहन का पंजीकरण, पंजीकरण का नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, वाहन ट्रांसफर आदि के साथ साथ वाहन टैक्स सम्बन्धी आदि कार्य भी सम्पादित किये जाते हैं
- ii. वाहन की फिटनेस हेतु टैक्सी मैक्सी वाहन को प्रत्येक वर्ष अथवा द्विवार्षिक बारंबारता पर कार्यालय पहुंच कर वाहन की फिटनेस जांच करानी होती है। इस हेतु वाहन को मैदान या मार्ग पर संचालित कर जनसुरक्षा के दृष्टिगत वाहन की स्वास्थ्य परीक्षा की जाती है।
- iii. चालक / सारथी सेवाओं के अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस हेतु अभ्यर्थी को कार्यालय पहुंच कर विभिन्न परीक्षाएं सफल करनी होती हैं। प्रथमतः लर्निंग लाइसेंस हेतु कम्प्युटर बेस्ड परीक्षा कम्प्युटर रूम में सम्पन्न की जाती है। तथा द्वितीयतः अभ्यर्थी को डी. एल. प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को वाहन के साथ मैदान/ मार्ग पर चालकता परीक्षण पास करना होता है, जिस हेतु स्वयं के कार्यालय भवन तथा ऑटोमेटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक का होना अतिआवश्यक है।
- iv. प्रवर्तन कार्यों के दौरान बिना परमिट, बिना राजकीय टैक्स जमा किये वाहनों, बिना फिटनेस के दौड़ रहे वाहनों या ऐसे अन्य अति गंभीर अपराधों में दोषी वाहनों को नियमानुसार सीज कर किसी निर्धारित स्थान पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाता है एवं इस हेतु पर्याप्त स्थान तथा उचित पार्किंग भवन की आवश्यकता होती है।
- v. देश में वाहनों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप मार्गों में वाहन घनत्व बढ़ता जा रहा है। परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। पिछले वर्षों में भारत देश में कुल 150000 दुर्घटनाओं में हमने लगभग 500000 मानव संसाधनों को प्रतिवर्ष खोया है।
- vi. महोदय उक्त के दृष्टिगत माननीय सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा भी सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों की नियमित निगरानी की जाती है। उक्त कमेटी के निर्देशानुसार कुछ विशिष्ट अभियोगों में वाहन चालक के डी.एल. को 3 माह हेतु निलंबित करने की साथ ही मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के संशोधन 2019 द्वारा कई अभियोगों पैनल्टी को अधिक तीक्ष्ण कर दिया गया है।
- vii. महोदय उक्त संवेदनशील अभियोगों में दोषी/ नियमों के उल्लंघनकर्ता चालकों को कार्यालय में रोड सेफ्टी संवेदनशीलता के प्रति अनिवार्य काउंसलिंग प्रदान की जानी है जिस हेतु सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी तथा शासन के नियमानुसार कार्यालय में एक काउंसलिंग भवन हॉल का निर्माण भी आवश्यक है।
- viii. रिट याचिका संख्या 2112/एम0एस/2021 अरुण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में सील/निरुद्ध वाहनों के पार्क करने तथा काउंसलिंग भवन हेतु एक ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर भवन के अनिवार्यतः निर्माण किया जाना है।



महोदय, उपर्युक्त बिन्दुओं i, ii, iii तथा viii के दृष्टिगत कार्यालय परियोजना के निर्माण के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन घटक सम्मिलित हैं -

- I. अन-आवासीय कार्यालय भवन,
- II. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक
- III. ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर भवन

## 2. योजना का संक्षिप्त विवरण-

- मुख्यालय कार्यालय द्वारा वर्ष 2008 के पत्रांक 1303/नियोजन /2008 दिनांक 09-06-2008 से प्रारम्भ करते हुए पत्रांक 928/नियोजन /13-70-2019 दिनांक 14.03.2019 तक उनके विभिन्न पत्रों द्वारा जनपद बागेश्वर में परिवहन अन-आवासीय कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि चयन के आदेश दिए गए।
- परियोजना के द्वितीय भाग में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निदेशों के अनुपालन में मुख्यालय कार्यालय द्वारा उनके पत्रांक 5345/नियोजन /13-113 /2017 दिनांक 26-08-2017 से प्रारम्भ करते हुए अपने विभिन्न पत्रों द्वारा जनपद बागेश्वर में ड्राईविंग लाईसैंस आवेदकों के परीक्षण के लिए मैदान पर ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक (भवन निर्माण नहीं) हेतु लगभग 4000 वर्ग मीटर भूमि चयन हेतु निर्देशित किया गया।
- परियोजना के तृतीय भाग के अन्तर्गत रिट याचिका संख्या 2112/एम0एस/2021 अरुण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में मुख्यालय कार्यालय के पत्रांक 419/नियोजन /13/161 /2019 दिनांक 06-02-2020 तथा 2171 /नियोजन/13-161/2021 दिनांक 05-08-2021 के द्वारा सभी जनपदों में निरूद्ध वाहनों को खड़ा करने तथा यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता चालाकों के काउंसलिंग हेतु ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर भवन विकसित किये जाने हेतु भूमि चयन/आवंटन के निर्देश दिए गए हैं।

## 3. वित्तीय स्रोत तथा योजना का बजट-

- कार्यालय भूमि हेतु पत्रांक 101/नियोजन /2008-09 दिनांक 19-01-2009 के अनुसार कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 2008 में ही परियोजना एवं बजट का प्रावधान किया जा चुका है।
- ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक एवं ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर हेतु वित्तीय अनुमोदन भूमि हस्तांतरण होने के उपरान्त प्रस्तावित है।
- इसी क्रम में उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग-1 के पत्रांक 39/सत्रह/ix-2/2021 दिनांक 12-04/2021 तथा इसी क्रम में मुख्यालय कार्यालय के पत्रांक 1725/नियोजन/13-7070/2021 दिनांक 22-04-2021 द्वारा जनपद बागेश्वर में 1. अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण के सम्बन्ध में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

## 4. समस्याएं जिनका परियोजना से समाधान होगा-

### ➤ कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धित-

वर्ष 2007 से ही वर्तमान तक परिवहन कार्यालय किराये के भवन से संचालित है। प्रौद्योगिकीकरण /आधुनिकीकरण /जन सेवाओं की प्रक्रियाओं में भी तकनीकी के प्रयोग ने कार्यालय में प्रयाप्त स्थान की आवश्यकता को अपरिहार्य बना दिया है। वर्तमान में किराये के भवन में पर्याप्त जगह नहीं है इससे पूर्व में भी स्थान अभाव के कारण पूर्व में भी एक किराये का भवन परिवर्तित किया गया था।

- विभागीय भवन में उचित स्थान उपलब्ध होने के कारण सभी जन सेवाएँ जैसे वाहनों के पंजीकरण, तकनीकी जांच से सम्बन्धित कार्य तथा ड्राईविंग लाईसैंस हेतु आवेदकों के बायोमेट्रिक पंजीकरण, सिमुलेटर पर लाईसैंस जांच आदि का कार्य अधिक जनसुलभ हो पाएगा।

### ➤ ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक निर्माण सम्बन्धित-

- ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक के निर्माण से केवल अधिक दक्ष आवेदक ही लाईसैंस प्राप्त कर पायेंगे जिसके फलस्वरूप वाहन दुर्घटनाओं में भी कमी लाना सम्भव हो पाएगा।

➤ टैफिक अवरनेस सेन्टर निर्माण सम्बन्धित-

- प्रथमतः भवन में प्रवर्तन दल के द्वारा निरूद्ध वाहनों को पार्क किया जाएगा वर्तमान तक उक्त हेतु पुलिस विभाग की थानों का प्रयोग किया जाता है। परन्तु पुलिस विभाग के बढ़ते प्रकरणों हेतु भूमि की अनुपलब्धता तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार यह भवन आवश्यक रूप से बनाया जाना है।
- द्वितीय भवन का उपयोग यातायात नियमों का उल्लघन करने वाले चालकों को काउंसलिंग हेतु किया जाएगा जिससे ऐसे उल्लघनकर्ताओं को अधिकाधिक संवेदनशील बनाते हुए दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लायी जा सकेगी।

5. लाभान्वित होने वाले परिवारों / जनसंख्या -

- परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/ परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र० सं०	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
01	समूर्ण जनपद बागेश्वर	260000	समस्त परिवार

- प्रश्नगत परियोजना निर्माण से विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले जनपद की 2.6 लाख से अधिक समूर्ण आवादी लाभान्वित होगी। जनपद मुख्यालय बागेश्वर जनपद के लगभग मध्य में स्थित होने तथा अन्य सभी जिला स्तरीय कार्यालय यही पर स्थित होने के कारण परिवहन सेवाओं हेतु दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले आम जनों को परिवहन सेवाओं के साथ-साथ अन्य विभागों की सेवाएं भी Single Station System अर्थात् मुख्यालय पर ही उपलब्ध हो जाएगी।

6. सस्टेनेबिलिटी :-

अन-आवासीय कार्यालय भवन, ऑटोमेटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण से परिवहन विभाग नागरिक सेवा तथा सुरक्षा की दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में बदलते परिवेशों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम होगा।

7. योजना का औचित्य-

पर्वतीय जनपद में दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले आवेदकों के कार्यों का सरलीकरण हो पाएगा तथा साथ ही वाहन दुर्घटना के मुख्य कारणों का भी निदान करते हुए दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जाएगी।

8. भूमि उपलब्धता की स्थिति तथा वन पंचायत एवं सिविल सोयम भूमि पर परियोजना निर्माण का कारण -

- महोदय, यह प्रस्तुत करना है कि परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में मुख्यालय कार्यालय के पत्र संख्या 1303/नियोजन /2008 दिनांक 09-06-2008 द्वारा 2008-09 के निर्देशानुसार जनपद मुख्यालय बागेश्वर में उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 0.40 हे० आरक्षित भूमि का प्रस्ताव भेजा गया था। जिसको अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक देहरादून के पत्रांक 2825/वन/जी- 3256 बागे० दिनांक 07-05-2015 मैरिट के आधार पर आरक्षित वन भूमि होने के कारण निरस्त करते हुए निर्देशित किया गया था कि आरक्षित वन भूमि के स्थान पर अन्य भूमि में समूचित नया प्रस्ताव तैयार कर ऑनलाईन प्रेषित किया जाए
- इसी क्रम में उचित भूमि चयन हेतु परिवहन विभाग द्वारा पत्राचार के फलस्वरूप जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगाँव में परिवहन विभाग हेतु :-1. अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु कुल 0.740 हे० भूमि / गैर कृषि भूमि [0.420 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.320 हे० वन पंचायत भूमि] चिन्हित कर प्रस्तावित की गई है।

- महोदय, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय जिलों में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त आरक्षित, वन पंचायत एवं सिविल सोयम भूमि को सम्मिलित करते हुए लगभग 86 प्रतिशत भूमि को वन भूमि के दायरे में लिया गया है। जिस कारण किसी एक ही प्रकार की भूमि का जनपद बागेश्वर मुख्यालय में उपलब्धता सम्भव नहीं है। अतः उक्त परियोजना निर्माण हेतु सिविल सोयम तथा वन पंचायत संयुक्त भूमि {0.420 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.320 हे० वन पंचायत भूमि} वन पंचायत भूमि के हस्तांतरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रपत्र वन में प्रतिवेदन प्रस्तुत है।
- वर्तमान में परिवहन विभाग में एकाधिक प्रयोजनों यथा कार्यालय भवन, ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सेन्टर का निर्माण किया जाना है। इन प्रयोजनों हेतु जनपद में अन्य कोई भी उचित तथा पर्याप्त भूमि विकल्प उपलब्ध नहीं है।
- चिन्हित भूमि के परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तित करने हेतु संयुक्त निरीक्षण समिति तथा गाडगाँव आम सभा सदस्यों द्वारा दिनांक 07-05-2022 को प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया है।
- प्रस्तावित भूमि पर चौड़ी पत्तीदार वृक्ष/ बाज प्रजाति का कोई भी वृक्ष नहीं है तथा केवल 19 चीड तथा 02 आम के वृक्ष हैं। परियोजना निर्माण के दौरान न्यूनतम तथा अपरिहार्य वृक्षों का ही पातन किया जाएगा।
- स्थानीय निवासियों को उक्त परियोजना निर्माण में कोई आपत्ति नहीं है।
- प्रस्तावित भूमि का भू- वैज्ञानिक से भी निरीक्षण कराया गया है एवं उनके द्वारा इसे भूगर्भीय / पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया है।
- प्रस्तावित भूमि को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने वाला हल्के वाहनों का कच्चा मार्ग बना है।
- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के निर्देशों के अनुपालन में प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु भूमि की मांग न्यूनतम, उपयुक्त एवं अपरिहार्य है।

**प्रस्तावित भूमि**

क्र० सं०	ख०खा० संख्या	श्रेणी	स्वरूप	खेत संख्या	खेत का क्षेत्रफल	मध्ये / प्रस्तावित क्षेत्रफल	ख०खा० / श्रेणीवार शुद्ध क्षेत्रफल
01	गैरज०वि ख०खा० 08	09(3) (ख)	ईमारती जंगल/ वन पंचायत	825	0.308	0.215	0.320
				822	0.185	0.105	
02	गैरज०वि ख०खा० 09	09(3) (ड०)	बंजर काबिल आबाद	269	0.129	0.084	0.233
				271	0.014	0.014	
				273	0.005	0.005	
				275	0.044	0.044	
				277	0.031	0.031	
				630	0.221	0.005	
				683	0.300	0.050	
03	ज० वि० खतौनी 15	05(3) (ड०)	अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	270	0.056	0.056	0.187
				272	0.029	0.029	
				276	0.08	0.08	
				823	0.008	0.008	
				278	0.014	0.014	
<b>कुल क्षेत्रफल (हे० में)</b>					<b>1.424</b>	<b>0.740</b>	<b>0.740</b>

- महोदय चिन्हित कुल भूमि 0.74 है0 में से वन पंचायत गाडगॉव के स्वामित्व में दर्शायी गयी 0.32 है0 भूमि के सम्बन्ध में यह सूचित करना है कि :-
- ✓ उप जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के पत्रांक 2460/पी0ए0/2022 दिनांक 13-06-2022 के अनुसार प्रस्तावित भूमि में से 0.32 है0 भूमि गैर0ज0वि0खतौनी श्रेणी 3 तीन ख ईमारती जंगल वर्तमान में वन पंचायत गाडगॉव के नाम दर्ज अभिलेख है। यह भूमि वर्तमान में नगर पालिका परिषद के विस्तारीकरण उपरान्त नगर पालिका बागेश्वर क्षेत्रान्तर्गत समाहित हो गया है तथा मॉ चण्डिका वार्ड में स्थित है।
  - ✓ नगर पालिका बागेश्वर के पत्रांक 333/-/2022-23 दिनांक 01-06-2022 की सूचना के अनुसार उक्त वन पंचायत गाडगॉव के अन्तर्गत प्रस्तावित स्थल वर्तमान में नगर पालिका बागेश्वर के विस्तारिकरण के परिणामस्वरूप नगर पालिका क्षेत्र के चण्डिका वार्ड में सम्मिलित कर ली गई है।
  - ✓ उपर्युक्त के आधार पर यह प्रस्तुत है कि "वन पंचायत गाडगॉव" की ग्राम सभा वर्तमान में नगर पालिका बागेश्वर के विस्तारिकरण के फलस्वरूप शहरी स्थानीय स्वशासन की ईकाई के रूप में चण्डिका वार्ड गाडगॉव के नाम से जानी जाती है जिसके जन प्रतिनिधि के रूप में, कार्यरत वार्ड मैम्बर/सभासद श्री नीतेश वर्मा निवासी चण्डिका वार्ड बागेश्वर, मो0 संख्या 8958417583 है।
  - ✓ भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु ग्राम सभा द्वारा आवश्यक कार्यवाही के लिए गाडगॉव चण्डिका वार्ड आम सभा द्वारा चिन्हित स्थल का संयुक्त निरीक्षण तथा बैठक कर आवश्यक प्रमाण पत्र यथा प्रपत्र -21 तथा प्रपत्र-23 आदि जारी किए गए हैं।
- अतः वन अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत इस परियोजना के निर्माण हेतु जनपद/नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में चिन्हित कुल 0.740 है0 भूमि / गैर कृषि भूमि के परिवहन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तन/हस्तांतरण हेतु यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

उपर्युक्त सन्दर्भ में महोदय से निवेदन है कि प्रतिवेदन पर सुलभ जनसेवा तथा सड़क सुरक्षा जैसे अतिसंवेदनशील विषय के दृष्टिगत विचार करते हुए स्वीकृति प्रदान कर वन अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवश्यक आदेश जारी कराने की कृपा करना चाहें।

निर्देशों/पत्राकों की छायाप्रति संलग्न है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी  
बागेश्वर

(कृष्ण चन्द्र पलडिया)  
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी  
प्रयोक्ता एजेन्सी

स्थान:-बागेश्वर

तारीख: 13-06-2022

संख्या- 2171/नियोजन/13-161/2021  
सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

**विषय-रिट याचिका संख्या-2112/एमएस/2011 अरुण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-419/नियोजन/13-161/2020 दिनांक 06-02-2020, पत्र संख्या-1889/नियोजन/13-161/2020 दिनांक 23-07-2020 एवं पत्र संख्या-3386/नियोजन/13-161/2020 दिनांक 11-12-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करके का कष्ट करें, जिनके अन्तर्गत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद में ट्रैफिक अवेयरनेस सेन्टर की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि का चिन्हिकरण करते हुए परिवहन विभाग के नाम भूमि हस्तान्तरण प्राथमिकता के आधार पर कराने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या-2112/एमएस/2011 अरुण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 06-07-2018 को अन्य निर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्देश पारित किये गये हैं:-

(S) All the District Magistrates, throughout the State of Uttarakhand are directed to provide sufficient land for parking the seized vehicles by the Transport Department, as desired by Mr. D. Senthil Pandiyan within three months, to be called "Traffic Awareness Centres", throughout the State of Uttarakhand, as suggested by Mr. M.S. Chauhan, learned Advocate within a period of three months from today.

इसके अतिरिक्त मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दिनांक 01-11-2019 में राज्य के सभी जनपदों में मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ट्रैफिक अवेयरनेस सेन्टर विकसित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड के आदेशों के अनुपालन में परिवहन विभाग को अपेक्षित भूमि आवंटित करने का कष्ट करें।

सहायक जिलाधिकारी  
कानपुर

भवदीय,

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)  
परिवहन आयुक्त।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड  
कुल्हान, सहस्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या-बीए/नियोजन/13-161/2019  
सेवा में,

दिनांक 06 फरवरी, 2020

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

विषय-रिट याचिका संख्या-2112/एमएस/2011 अरुण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में  
मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किये जाने के  
सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-2958/प्रवर्तन/स0सु0/  
1-293/2018 दिनांक 09-07-2018 एवं दिनांक 01-11-2019 को मा0 परिवहन मंत्री जी,  
उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक का सन्दर्भ  
ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र एवं बैठक में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के  
निर्देशों के क्रम में राज्य के सभी जनपदों में ट्रैफिक अवेयरनेस सेन्टर विकसित किये जाने  
के लिये भूमि आवंटित करने की अपेक्षा की गई है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत परिवहन  
विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन की कार्यवाही के दौरान निरुद्ध वाहनों को खड़ा करने ①  
एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को काउन्सलिंग प्रदान करने के ②  
उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में ट्रैफिक अवेयरनेस सेन्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित  
है। परन्तु उक्त प्रयोजन हेतु अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है।


अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम की दृष्टि से  
परिवहन विभाग की उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भूमि का चिन्हिकरण  
करते हुए परिवहन विभाग के नाम भूमि हस्तान्तरण प्राथमिकता के आधार पर कराने हेतु  
सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।


भवदीय,

  
(सनत कुमार सिंह)  
उप परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं।
- 3- समस्त सांभागीय/सहायक सांभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।



  
(सनत कुमार सिंह)  
उप परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।

परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड,  
कुल्हान, सहस्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या- 428 /नियोजन/13-70/2019

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,  
बागेश्वर।

दिनांक 14- मार्च, 2019

विषय-उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर हेतु भूमि के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-4282/नियोजन/13-70/2018 दिनांक 27-09-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत इस कार्यालय के पूर्व में जारी निर्देशों का उल्लेख करते हुए उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर हेतु भूमि चयन/हस्तान्तरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रकरण की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए थे। परन्तु आपके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया है, जो उचित नहीं है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि कृपया उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर हेतु भूमि चयन/हस्तान्तरण के सम्बन्ध में आतिथि तक कृत कार्यवाही एवं प्रकरण की अद्यतन स्थिति से प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि-सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी/अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुनील सिंह)

अपर परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।

(सुनील सिंह)

अपर परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी  
बागेश्वर

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड  
कुल्हान, सहस्रधारा रोड, देहरादून

पत्र संख्या - 101 / नियोजन / 2008-09

दिनांक : 19 जनवरी 2009

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी

टिहरी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बागेश्वर, उत्तरकाशी।

विषय : सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय भवनों की स्थापना हेतु निशुल्क भूमि चयन के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 654/नियोजन/2008 दिनांक 27, अप्रैल, 2008, पत्र संख्या 1008/नियोजन/2008 दिनांक 15, मई 2008 एवं पत्र संख्या 1303/नियोजन/2008 दिनांक 09, जून 2008, पत्र संख्या 1905/नियोजन/2008 दिनांक 21, जुलाई, 2008 एवं पत्र संख्या 2524/नियोजन/2008-09/08 दिनांक 02, सितम्बर 2008 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय के भवनों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है एवं जिस हेतु वर्ष 2008-09 में परिव्यय एवं बजट प्रावधान किया गया था किन्तु भूमि विभाग के नाम हस्तांतरण न होने के कारण उक्त कार्यालय हेतु निर्माण कार्य संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय भवन हेतु भूमि आवंटन के संबंध में अपने जिले से संबंधित जिलाधिकारी से संपर्क कर निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई संपन्न करें ताकि समय पर भूमि हस्तांतरण संबंधी कार्रवाई पूर्ण हो सके। इसके अतिरिक्त आपको यह भी अवगत करना है कि भूमि चयन कर संबंधित भूमि का निरीक्षण/परीक्षण कर प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

अपर परिवहन आयुक्त  
उत्तराखंड।

पत्र संख्या 101

दिनांकित 19 जनवरी

प्रतिलिपि:- संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून, पौड़ी, हल्द्वानी एवं अल्मोडा को इस निर्देश के साथ कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर भूमि चयन की कार्रवाई कर प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

अपर परिवहन आयुक्त  
उत्तराखंड।

प्रभारी मुख्य सहायक  
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें, तथा  
कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

23/1/09

सोसोपड380  
बागेश्वर

अधिकारी

न्यायालय जिलाधिकारी बामेश्वर  
संख्या 6284 दिनांक 25.8.17

प्रेषक,  
डी० सेन्थिल पाण्डेयन  
सचिव/आयुक्त, परिवहन,  
उत्तराखण्ड।

सेवा में,  
समस्त जिला मैजिस्ट्रेट/  
अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति,  
उत्तराखण्ड।

संख्या: 5345/नियोजन/13 113/2017

दिनांक 26 अगस्त, 2017

विषय: मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 61/प्रवर्तन/एक 8(3)/स०सु० /2015 दिनांक 05-01-2016 एवं दिनांक 13 04-2017 को सम्पन्न विडियो का-फ्रन्सिंग बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र एवं बैठक में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत निम्नलिखित कार्यों हेतु परिवहन विभाग को भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं:-

ST/11A

- 1 वाहनों की फिटनेस जांच करने के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना। (लगभग 3 एकड़ भूमि)
- 2 परिवहन कार्यालय में घालक लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आने वाले आवेदकों की परीक्षा के लिए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना। (लगभग 4,000 वर्गमीटर भूमि)

अभी तक मात्र जनपद हरिद्वार में उक्त प्रयोजनों हेतु भूमि उपलब्ध हो पायी है। भूमि उपलब्ध करवाने में जिलाधिकारी, हरिद्वार और विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये प्रयास सराहनीय हैं।

B.C.  
28/8

अन्य जनपदों में अभी भूमि का चिन्हिकरण नहीं हो पाया है। अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम की दृष्टि से परिवहन विभाग की उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भूमि का चिन्हिकरण करते हुए परिवहन विभाग के नाम भूमि हस्तान्तरण प्राथमिकता के आधार पर कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सहायक सहायक परिवहन अधिकारी,  
हरिद्वार

(डी० सेन्थिल पाण्डेयन)  
सचिव/आयुक्त, परिवहन

प्रतिश्लेष-1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ।

2 मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डी० सेन्थिल पाण्डेयन)  
सचिव/आयुक्त, परिवहन

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,  
08-रामबाग, काँवली, देहरादून।

पत्र संख्या- 1303 /नियोजन/2008  
सेवा में,

दिनांक: 09/08/2008

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,  
टिहरी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बागेश्वर।

विषय:- सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय की स्थापना हेतु भूमि चयन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु परिव्यय बजट प्राविधान का प्रस्ताव किया गया है। जिसका उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2008-09 में किया जाना है।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय भवन हेतु भूमि/आबंटन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से सम्पर्क कर निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न कराये। ताकि समय पर भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न हो सके, एवं बजट का सदुपयोग भी इसी वित्तीय वर्ष में हो सके।

12/8/08  
12/8/08

परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि:- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, पौड़ी, हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अलमोड़ा ✓



परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।

परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।

**!! कार्यालय नगर पालिका परिषद, बागेश्वर !!**

(स्वच्छता ही सेवा)

Email- nppbageshwar@gmail.com



पत्रांक

333

/ -

/2022-23/

दिनांक - 01.05.2022

सेवा में,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,  
बागेश्वर।

विषय

परिवहन कार्यालय, बागेश्वर के भवन निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक संख्या 409/भूमि चयन/2022-23/ दिनांक 12.05.2022 के क्रम में अवगत कराना है कि कार्यालय भवन निर्माण हेतु चयनित भूमि नगर पालिका परिषद, बागेश्वर के माँ चण्डिका वार्ड में स्थित हैं।

अतः सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

भवदीय,

अधिशारी अधिकारी

नगर पालिका परिषद बागेश्वर।

प्रतिलिपि - उप जिलाधिकारी महोदय /अध्यक्ष परिवहन विभाग हस्तान्तरण संयुक्त निरीक्षण समिति, बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशारी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद बागेश्वर।

संख्या- 2460 / पी0ए0 / 2022  
सेवा में,

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बागेश्वर ।

दिनांक: 13 जून, 2022


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,  
बागेश्वर ।

विषय-परिवहन कार्यालय बागेश्वर के भवन निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरण ।

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-483/भूमि चयन/2022-23 दिनांक 04-06-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । अवगत कराना है कि विवरण पत्र के क्रमांक 01 में अंकित किये गये 0.320 है० भूमि गैर०ज०वि० खतौनी श्रेणी 09(3) ख ईमारती जंगल वर्तमान में वन पंचायत गाडगाँव के नाम दर्ज अभिलेख है ।

उक्त प्रस्तावित भूमि वर्तमान में नगर पालिका परिषद बागेश्वर के विस्तारीकरण उपरान्त नगर पालिका बागेश्वर क्षेत्रान्तर्गत समाहित हो गया है तथा माँ चण्डिका वार्ड में स्थित है ।

अतः उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित

  
उप जिलाधिकारी,  
बागेश्वर ।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या 5 /11-एस०ए०सी०/2021-22 दिनांक 09 जून, 2022

सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी,  
बागेश्वर।

विषय परिवहन कार्यालय एवं विभिन्न कार्यों हेतु भूमि चयन के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 259/भूमि चयन/2022-23 दिनांक 20-4-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में परिवहन कार्यालय एवं विभिन्न कार्यों हेतु भूमि ग्राम गाडगाँव में कुल 0.740 है० भूमि परिवहन विभाग को हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबंध में उपजिलाधिकारी, बागेश्वर से जाँच कराई गई। उपजिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या मैमों /पी०ए०/2022 दिनांक 17 मई 2022 से ग्राम गाडगाँव की ज०वि०खतौनी श्रेणी 5(3)ड कृषि योग्य बंजर भूमि के खाता संख्या 15 में दर्ज पैमायशी खसरा संख्या 270 में 0.056 है०, 272 क्षेत्रफल 0.029 है०, 276 में 0.080 है०, 278 में 0.014 है० एवं खसरा संख्या -823 में 0.008 है० इस प्रकार 05 खसरा नम्बरों की 0.187 है० भूमि गै०ज०वि०खतौनी संख्या श्रेणी 9(3)ख ईमारती जंगल (वर्तमान में वन पंचायत गाडगाँव की नाम दर्ज) के खाता संख्या -8 के पैमायशी खसरा संख्या 822 क्षेत्रफल 0.185 है० मध्ये 0.105 है० एवं खसरा संख्या -825 क्षेत्रफल 0.308 है० मध्ये 0.215 है० इस प्रकार दो खसरा नम्बरानों की 0.320 है० तथा उक्त ग्राम गाडगाँव के गै०ज०वि०खतौनी श्रेणी 9(3)ड बंजर काबिल आबाद के खाता संख्या-09 में दर्ज पैमायशी खसरा नम्बर 269 क्षेत्रफल 0.129 है० मध्ये 0.084 है०, 271 क्षेत्रफल 0.014 है०, 273 क्षेत्रफल 0.005 है०, 275 क्षेत्रफल 0.044 है०, 277 क्षेत्रफल 0.031 है०, 630 क्षेत्रफल 0.221 मध्ये 0.005 है० एवं खसरा संख्या 683 क्षेत्रफल 0.300 है० मध्ये 0.050 है० इस प्रकार खात खसरा नम्बरानों की कुल 0.233 है० भूमि चयनित की गई है तीनों श्रेणी (जेड०ए०/नॉन जेड०ए०) की कुल 0.740 है० भूमि परिवहन विभाग के कार्यालय के निर्माण हेतु प्रस्तावित की गई है।

उक्त प्रस्ताव के विन्दु संख्या 5 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित भूमि में कहीं-कहीं पर चीड़ प्रजाति के हरे वृक्ष मौजूद हैं जिसे वन विभाग से अपेक्षित कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त प्रस्ताव की मूल प्रति इस आशय के साथ प्रेषित कि परिवहन कार्यालय के निर्माण के संबंध में प्रभागीय बनाधिकारी, बागेश्वर से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें और कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करावे।  
संलग्न उक्तानुसार।

प्रभारी अधिकारी,

कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।

प्रतिलिपि प्रभागीय बनाधिकारी, वन प्रभाग बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,

कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।



खसरा कार्ड पक-३ खसरा उद्देश्य ग्राम-आन्विक मा-उत्पि  
 आन्विक कार्ड विवरण पक-१५२६

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
269	०१२१	१	उ. स.														अ.स. ०१२१			17
270	००५६	१५	अ.स. शोभनबन अ.स.														अ.स. ००५६			
271	००१५	१	उ. स.														अ.स. ००१५			
272	००२१	१५	अ.स. शोभनबन अ.स.														अ.स. ००२१			
273	००५५	१	उ. स.														अ.स. ००५५			
275	००५५	१	उ. स.														अ.स. ००५५			
276	००१०	१५	अ.स. शोभनबन अ.स.														अ.स. ००१०			
277	००३१	१	उ. स.														अ.स. ००३१			
278	००१५	१५	अ.स. शोभनबन अ.स.														अ.स. ००१५			
630	००२१	१	उ. स.														अ.स. ००२१			
683	००३००	१	उ. स.														अ.स. ००३००			
822	०१८५	४	उ. स.														अ.स. ०१८५			
823	०००८	१५	अ.स. शोभनबन अ.स.														अ.स. ०००८			
825	००३०८	४	उ. स.														अ.स. ००३०८			

अ.स. ०१८५  
 अ.स. ०००८  
 अ.स. ००३०८

10210

**कार्यालय उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।**

8/12/रा0अ0-भूमि प्रस्ताव/2020-21

दिनांक 04 अक्टूबर, 2021

O.C./L.A.C

जिलाधिकारी,  
बागेश्वर

41

6-10-21

6.10.21

उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय/आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बागेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या-285/सामा0प्रशा0/भूमि 2021 दिनांक-24.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर के भवन एवं अन्य प्रयोजनों हेतु ग्राम गाड़गांव तहसील, बागेश्वर में संयुक्त निरीक्षण कर चिन्हित की गयी 0.595 है0 भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर के भवन निर्माण एवं अन्य प्रयोजनों हेतु गाड़गांव तहसील, बागेश्वर में संयुक्त निरीक्षण कर चिन्हित की गयी 0.595 है0 भूमि का प्रस्ताव तहसीलदार, बागेश्वर के द्वारा प्राप्त किया गया।

तहसीलदार, बागेश्वर द्वारा चयनित भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए आख्या निम्नानुसार उपलब्ध करायी गयी

प्रस्तावित भूमि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम गाड़गांव क्षेत्र दुगबागेश्वर की गैर0ज0वि0ख0खा0 श्रेणी 9(3) ड, बंजर काबिल आबाद के खाता संख्या-09 में दर्ज पैमाइसी खेत संख्या-277 रकवा 0.031 है0, खेत संख्या-630 मध्ये रकवा 0.005 है0 व खेत संख्या-683 मध्ये रकवा 0.050 है0 कुल रकवा 0.086 है0, एवं गैर0ज0वि0ख0खा0 श्रेणी 9(3) ख वन पंचायत के खाता संख्या-08 में दर्ज पैमाइसी खेत संख्या-822 मध्ये 0.045 है0 तथा गैर0ज0वि0ख0खा0 श्रेणी 5(3) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाता संख्या-15 में दर्ज पैमाइसी खेत संख्या-278 रकवा 0.014 है0 कुल रकवा 0.145 है0 भूमि उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित की गयी है। भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की है।

2. याचक विभाग को उक्त प्रस्ताव के अतिरिक्त पूर्व में 0.595 है0 भूमि का प्रस्ताव उपरोक्त कार्य हेतु प्रेषित किया गया है।

3. वर्तमान में प्रस्तावित भूमि के खेत संख्या-822 मध्ये 102.26 वर्गमीटर में भूकम्प विरोधी तीन टीनसैट के सल्टर हाउस बने हैं।

4. प्रस्तावित भूमि बागेश्वर-काण्डा, मोटर मार्ग के पहाड़ी की ओर स्थित है।

5. प्रस्तावित भूमि को याचक विभाग निःशुल्क चाहता है। जिसमें कोई मन्दिर, मस्जिद एवं अन्य धार्मिक स्थल मौजूद नहीं हैं।

6. प्रस्तावित भूमि में एक चीड़ का वृक्ष है। लेकिन 0.045 है0 भूमि वन पंचायत के अन्दर आती है, इसलिए प्रस्तावित भूमि में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधान लागू होने अथवा न होने के संबंध में वन विभाग से आख्या ली जानी उचित होगी।

7. प्रस्तावित भूमि का वर्तमान सर्किट रेटो के अनुसार कुल कीमत 65,54,000.00 (पैसठ लाख चौवन हजार) आंकी जाती है।

अतः उक्तानुसार तहसीलदार, बागेश्वर से प्राप्त चयनित भूमि का प्रस्ताव अग्रतः कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

उपजिलाधिकारी,  
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर ।  
संख्या 43/21-एल.बी.सी./2019-20 दिनांक 21 जनवरी, 2020

एक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,  
बागेश्वर ।

उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर के भवन निर्माण हेतु।

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 39/सामा.प्रशा./भूमि चयन/2018-19 दिनांक 1.2.2019 जो उपजिलाधिकारी बागेश्वर को सम्बोधित है, का संदर्भ ग्रहण करें जिसके अन्तर्गत जनपद बागेश्वर सेवन विभाग हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है।

प्रश्नगत प्रकरण में उप जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा अपने पत्र संख्या 170/रा.अ.-भूमि 018-19 दिनांक 09 मई, 2019 से उक्त प्रयोजन हेतु तीन प्रकार की भूमि का चयन कर प्रस्ताव उपलब्ध किया गया है जो निम्नवत है:-


संख्या 1 - ग्राम गाड़गाँव की गै.ज.वि.ख.खा. संख्या 08 श्रेणी 08(3) ख ईमारती जंगल रूप में वन पंचायत द्वारा दर्ज खेत संख्या 822 क्षेत्रफल 0.185 है, मध्ये 0.060 है, खेत संख्या 825 क्षेत्रफल 0.308 मध्ये 0.215 है, कुल क्षेत्रफल 0.275 है, भूमि परिवहन विभाग को हस्तान्तरण किये जाने पर वन पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। इस क्षेत्र में वन पंचायत सरपंच गाड़गाँव द्वारा अपनी अनापत्ति दी गई है। चूंकि उक्त भूमि इमारती लकड़ी के जंगल रूप में होने से वन अधिनियम, 1980 के प्राविधान लागू है।

संख्या 2 - ग्राम गाड़गाँव की गै.ज.वि.ख.खा. संख्या 15 श्रेणी 5(3) ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में खसरा संख्या 270 क्षेत्रफल 0.056 है, खेत संख्या 272 क्षेत्रफल 0.029 है, खेत संख्या 276 क्षेत्रफल 0.080 है, व खेत संख्या 823 क्षेत्रफल 0.008 है, कुल रकवा 0.173 है, भूमि चिन्हित की गयी है जो जेड.ए.की भूमि है जिस पर सम्भा के अन्तर्गत गठित भूमि प्रबन्धन समिति का अधिकार होता है। जबकि ग्राम में भूमि प्रबन्धन समिति गठित नहीं है।

संख्या 3 - ग्राम गाड़गाँव की नॉन जेड. ए. खतौनी श्रेणी 9(3) ड. बंजर काबिल आवाद खाता संख्या 9 मायशी खेत संख्या 269 मध्ये रकवा 0.084 है, खेत संख्या 271 रकवा 0.014 है, खेत संख्या 273 रकवा 0.005 है, खेत संख्या 275 रकवा 0.044 है, कुल 0.147 है, भूमि प्रस्तावित की गयी है।

बिन्दु संख्या-1 पर दर्ज भूमि जो गै.ज.वि.ख.खा. संख्या 08 श्रेणी 08(3) ख ईमारती जंगल रूप में वन पंचायत के नाम दर्ज कुल क्षेत्रफल 0.275 है, है, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान के अन्तर्गत होने से याचक विभाग द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव तैयार किये हेतु प्रभागीय बनाधिकारी, बागेश्वर से सम्पर्क स्थापित कर विधिवत कार्यवाही की जानी होगी। इस संबंध में जिलाधिकारी, महोदया द्वारा अपने आदेश संख्या 17.01.2020 से उक्त प्रस्तावित भूमि के संबंध में आख्या प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त प्रस्तावित भूमि के संबंध में तत्काल अपने स्तर से कार्यवाही कर अपनी स्पष्ट आख्या के अन्तर्गत सप्ताह अन्दर इस कार्यालय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
प्रभारी अधिकारी,  
कृते, जिलाधिकारी, बागेश्वर ।

598

(172)